# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 6th LOK SABHA DEBATES

[ चौथा सत्र
Fourth Session ]

11.11.92

सत्यमेव जयते

[खंड 15 में अंक 51 से 58 तक हैं
Vol. XV contains Nos. 51 to 58]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

*Price : Four Rupees*

## विषय-सूची/CONTENTS

अंक 56, गुरुवार, 11 मई, 1978/21 वैशाख, 1900 (शक)

**No. 56 Thursday, May 11, 1978/Vaisakha 21, 1900 (Saka)**


| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | PAPERS LAID ON THE TABLE | 1—3 |
| याचिका समिति | Committee on Petitions | |
| (1) कार्यवाही सारांश | (i) Minutes . | 3 |
| (2) चौथा प्रतिवेदन | (ii) Fourth Report . | 3 |
| सभा पटल पर रखे गये पत्र | Committee on Papers Laid on the Table . . . | |
| छठा प्रतिवेदन | Sixth Report . . . | 3 |
| रेल अभिसमय समिति | Railway Convention Committee | |
| तीसरा प्रतिवेदन | Third Report . . . | 3 |
| अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति | Committee on Subordinate Legislation . . | 4 |
| 9वां प्रतिवेदन | Ninth Report | 4 |
| विशेषाधिकार समिति | Committee of Privileges . | 4–5 |
| श्रीमती इन्दिरा गांधी और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाना | Extension of time for presentation of Report on the question of privileges against Shrimati Indira Gandhi and others | 4 |
| वित्त विधेयक, 1978 | Finance Bill, 1978 . | 5-11 |
| राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन पर विचार करने का प्रस्ताव—अस्वीकृत | Motion to consider amendment recommended by Rajya Sabha—negatived | |
| श्री एच० एम० पटेल | Shri H.M. Patel | 5 |
| श्री सी० एम० स्टीफन | Shri C. M· Stephen | 6 |

| विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| श्री जी० एम० बनतवाला | Shri G. M.Banatwala | 7 |
| श्री टी० ए० पाई | Shri T.A. Pai . . . | 7 |
| श्रीमती पार्वती कृष्णन | Shrimati Parvathi Krishnan | 7 |
| श्री वसंत साठे | Shri Vasant Sathe . | 8 |
| श्री सोमनाथ चटर्जी | Shri Somnath Chatterjee . | 9 |
| श्री ए० सी० जार्ज | Shri A.C. George | 9 |
| मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव—अस्वीकृत | Motion of No-Confidence in the Council of Ministers—Negatived . . . . . | 12–28 |
| श्री अशोक कृष्ण दत्त | Shri Asoka Krishna Dutt . | 12 |
| श्री जगजीवन राम | Shri Jagjivan Ram | 13 |
| श्री बी० शंकरानन्द | Shri B. Shankaranand . | 14 |
| श्री एम० एन० गोविन्द नायर | Shri M.N. Govindan Nair | 15. |
| श्री राम विलास पासवान | Shri Ram Vilas Paswan . | 16 |
| श्री आर० मोहनरंगम | Shri Ragavalu Mohanarangam . . . | 16 |
| श्री मोहम्मद शफी कुरेशी | Shri Mohd. Shafi Qureshi . | 17 |
| श्री हुकमदेव नारायण यादव | Shri Hukmdeo Narain Yadav | 18 |
| श्री वसंत साठे | Shri Vasant Sathe | 19 |
| श्री सौगत राय | Shri Saugata Roy | 21 |
| श्री दाजीबा देसाई | Shri Dajiba Desai . | 21 |
| श्री मोरारजी आर० देसाई | Shri Morarji R Desai | 22 |
| श्री सी० एम० स्टीफन | Shri C.M. Stephen . . | 25 |
| सदस्य शपथ ग्रहण | Members Sworn . . | 14 |
| श्रीमती मोहसिना किदवई | Shrimati Mohsina Kidwai | 14 |

# लोक सभा
# LOK SABHA

गुरुवार, 11 मई, 1978/21 वैशाख, 1900 (शक)

Thursday, May, 11 1978/Vaisakha 21, 1900 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr Speaker in the Chair]

## सभा पटल पर रखे गये पत्र
## Papers laid on the Table

**शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री डा० प्रताप चन्द्र चन्द्र :** मैं भारतीय खान विद्यालय, धनबाद के वर्ष 1975-76 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 2295/78]

**निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर) :** मैं नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 46 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नगरीय भूमि (अधिकतम सीमा तथा विनियमन) (चौथा संशोधन), नियम, 1978 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 29 अप्रैल, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 571 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 2296/79]

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धनिक लाल मंडल) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति:—

(एक) हरियाणा के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और भूतपूर्व केन्द्रीय रक्षा मंत्री श्री बंसीलाल के विरुद्ध कतिपय आरोपों की जांच करने के लिए

गठित पी० जगन्नमोहन रेड्डी जांच आयोग का दिनांक 23 मार्च, 1978 का दूसरा प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ज्ञापन) हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(2) उपर्युक्त (3) (एक) में अल्लिखित प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर रखने के कारण बनाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या एल० टी० 2297/78]

**श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग सई) :** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गयी प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)—

| | | | |
|---|---|---|---|
| (एक) | विवरण संख्या 29 | दसवां सत्र, 1974 | पांचवीं लोक सभा |
| (दो) | विवरण संख्या 21 | बारहवां सत्र, 1979 | पांचवीं लोक सभा |
| (तीन) | विवरण संख्या 9 | सत्रहवां, सत्र, 1976 | पांचवीं लोक सभा |
| (चार) | विवरण संख्या 6 | पहला सत्र, 1977 | |
| (पांच) | विवरण संख्या 9 | दूसरा सत्र, 1977 | |
| (छः) | विवरण संख्या 5 | तीसरा सत्र, 1977 | |
| (सात) | विवरण संख्या 2 | चौथा सत्र, 1978 | |

(2) कार्यान्वयन प्रतिवेदनों में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये **देखिए** संख्या एल० टी० 2298/78]

**श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री लारंग सई) :** मैं डा० राम कृपाल सिंह की ओर से कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 की धारा 7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम, 1978 हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, सभा पटल पर रखता हूं, जो दिनांक 6 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 602 में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या 2299/78]

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जुलफिकारुल्ला)** : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 283 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 9 मई, 1978 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया **देखिए** संख्या 2300/78]

## याचिका समिति
## COMMITTEE ON PETITIONS

### कार्यवाही--सारांश

**Shri Hari Vishnu Kamath (Hoshangabad):** I beg to lay on the table minutes of the 15th to 26th meetings of the Committee on Petitions of the 6th Lok Sabha.

### चौथा प्रतिवेदन

**Shri Hari Vishnu Kamath :** I beg to present the Fourth Report of the Committee on Petitions.

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन
## Committee on Papers laid on the Table

### छठा प्रतिवेदन

**श्री कंवर लाल गुप्त** (दिल्ली सदर): मैं सभा पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति का छठा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

## (रेल अभिसमय समिति)
## Railway Convention Committee

### तीसरा प्रतिवेदन

**श्री कृष्ण कान्त** : मैं "भारतीय रेलों के सामाजिक दायित्व" पर रेल अभिसमय समिति के नौवें प्रतिवेदन 1973 में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का तीसरा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

**अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन**

**Committee on Subordinate Legislation**
**नौवां प्रतिवेदन**

**कुमारी मणिबेन वल्लभभाई पटेल** : मैं अधीनस्थ विधान संबंधी समिति का नौवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करती हूं।

**श्री हितेन्द्र देसाई** : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :-

"कि यह सभा मारुति लिमिटेड पर लोक सभा में कतिपय प्रश्नों के उत्तरों के लिये जानकारी एकत्र करने वाले कतिपय अधिकारियों के काम में कथित बाधा डालने, उन्हें डराने तथा तंग करने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय छः महीने के लिये बढ़ाती है।"

**विशेषाधिकार समिति**

**श्रीमती इन्दिरा गाधी और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाना**

**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा समय बढ़ाने के पक्ष में है।

**श्री कंवर लाल गुप्त** : यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। छः महींने की और अवधि बढ़ाना उचित नहीं है। माननीय सदस्य को अवधि बढ़ाये जाने के कारण अवश्य बताने चाहिये। मेरे विचार में सभा चाहती है कि श्रीमती गांधी के विरुद्ध विशेषाधिकार संबंधी मामला शीघ्र निबटया जाये। मैं सभा से अनुरोध करता हूं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाये।

**श्री समर गुह** : इस विशेषाधिकार समिति को न केवल श्रीमती गांधी बल्कि कई अन्य संबंधित व्यक्तियों के मामले भी निबटाने होंगे। हम बजट सत्र शुरू होने पर ही अपना काम चालू कर सके हैं। अब तक हमने 19 बैठकें की हैं और 19 गवाहों के साक्ष्य लिये हैं। काफी गवाहों के साक्ष्य लेना शेष है। हमें अभी लगभग 1000 पृष्ठों के दस्तावेज का अध्ययन करना है, जिसमें समय लगेगा। कुछ गवाहों को दोबारा साक्ष्य के लिये बुलाना होगा ताकि सभी के प्रति न्याय हो सके। इसीलिये अवधि बढ़ाने की मांग की गई है।

**श्री हरि विष्णु कामत** : मेरा सुझाव है कि यह अवधि अगले सत्र के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक ही बढ़ाई जानी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय:** मैंने उनकी कार्यवाही को पढ़ा है । वे सन्तोषजनक कार्य कर रहे हैं । मेरे विचार में चार महीने की अवधि और बढ़ायी जानी चाहिये । प्रश्न यह है:

> "कि यह सभा मारुति लिमिटेड पर लोक सभा में कतिपय प्रश्नों के उत्तरों के लिए जानकारी एकत्र करने वाले कतिपय अधिकारियों के काम में कथित बाधा डालने, उन्हें डराने तथा तंग करने के लिये श्रीमती इन्दिरा गांधी और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय चार महीने के लिये बढ़ाती है।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**The Motion was adopted .**

## वित्त विधेयक, 1978

## Finance Bill , 1978

**वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल)** : श्रीमन् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"(एक) कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये।

**संशोधन**

**खण्ड 36**

कि पृष्ठ 31 पर पंक्ति 32–40 को निकाल दिया जाये।

(दो) कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश अस्वीकृत की जाये।"

यह संशोधन नया नहीं है । विधेयक पर खण्डवार विचार करते समय ऐसे संशोधन इसी सभा में प्रस्तुत किये गये थे । इन पर काफी चर्चा करने के बाद सभा ने उन्हें अस्वीकृत कर दिया था और वित्त विधेयक पास कर दिया था । इसीलिये संशोधन पर मुझे अधिक टीका - टिप्पणी करने की आवश्यकता नही है ।

राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये संशोधन का उद्देश्य "कोयले" लिगनाइट को छोड़ कर 'कोक' जिसकी अन्यत्र व्यवस्था नहीं की गई है और 'बिजली' पर से उत्पादन शुल्क को समाप्त करना है । कोयले और बिजली पर नया केन्द्रीय शुल्क इस लिए लगाना पड़ा है, क्योंकि हमने इस क्षेत्र में काफी पूंजी निवेश किया है । कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण के बाद कोयले के क्षेत्र में लगभग 750 करोड़ रुपये

का निवेश किया गया है और पंचवर्षीय योजना (1978—83) में 1650 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बिजली के क्षेत्र में चालू वित्तीय वर्ष में 2200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसलिए जो लोग इस भारी पूंजी निवेश से लाभान्वित होंगे? हम चाहते हैं कि वे राष्ट्रीय राजकोष में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के रूप में कुछ योगदान दें। यह उत्पाद शुल्क ऐसा है कि प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर इस का प्रभाव बहुत ही कम पड़ेगा। आवश्यक उत्पादों की उचित मूल्य पर उपलब्धता का सुनिश्चित करने हेतु मेरा विचार संबद्ध मंत्रालयों से परामर्श करके बिजली प्रधान उद्योगों को, जहां आवश्यक हो, राहत प्रदान करने का है। यह प्रक्रिया हम ने आरम्भ कर दी है।

बिजली के संबंध में उसका स्वरूप तथा उसकी उत्पादन विधि को देखते हुए संचालन स्तर पर काफी प्रक्रिया संबंधी राहतें दी गई हैं।

राज्य सभा के संशोधन को स्वीकार करने का परिणाम यह होगा कि हमें बिजली के संबंध में 128.20 करोड़ और कोयले के संबंध में 57.30 करोड़ रुपये के राजस्व से वंचित हो जायंगे अर्थात् कुल मिलाकर 185.57 करोड़ रुपये के राजस्व का हमें बलिदान करना होगा। सभा इस बात को निश्चय ही स्वीकार करेगी कि बजट के अन्तर को और नहीं बढ़ने दिया जाना चाहिए। अतः मुझे विश्वास है सभा राज्य सभा के संशोधन को स्वीकार नहीं करेगी।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :—

"(एक) कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये।

**संशोधन**

**खण्ड 36**

कि पृष्ठ 31 पर पंक्ति 32–40 को निकाल दिया जाये।

(दो) कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश अस्वीकृत की जाये।"

**श्री सी० एम० स्टीफन** (इदक्की) :—इस सभा द्वारा पारित विधेयक कभी कभार राज्य सभा द्वारा सिफारिश के साथ वापिस भेजा जाता है अतः सरकार को इस विधेयक पर हठधर्मी से नहीं अपितु खुले दिमाग से विचार करना चाहिए।

बिजली पर उत्पाद शुल्क लगाकर सरकार ने राज्यों के अधिकारों का अतिलंघन किया है। राज्य सरकारें अधिक शुल्क इसलिए नहीं लगा रही कि उन्हें धन की आवश्यकता नहीं है अपितु वे जानते हैं कि बिजली की बिक्री या खपत पर कर लगाने

से उपभोक्ताओं पर भार बढेगा और इससे उस क्षेत्र के उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । अतः उन्होंने एक ऐसा क्षेत्र छोड़ दिया जहां से वह अपने विकास उद्देश्यों हेतु धन एकत्र कर सकते थे । लेकिन अब केन्द्र ने बिजली के उत्पादन पर उत्पाद शुल्क लगा दिया है । यदि इस उत्पाद शुल्क के परिणामस्वरूप उपभोग लागत बढ़ जाती है तब राज्य सूची की 7वी अनुसूची की मद संख्या 53 के अन्तर्गत कर बढ़ाने की शक्ति, राज्यों के लिए बिल्कुल अनुचित है । इससे राज्यों और केन्द्र के बीच तनाव बढ़ेगा ।

यह वित्तीय उपाय ही नहीं बल्कि दूरगामी राजनीतिक प्रभाव डालने वाला विधेयक है । उपरि सदन का अपना महत्व है । यदि हम शीघ्रता में कोई विधेयक पास कर देते हैं तो उपरि सदन उस पर विचार करके कुछ परिवर्तन या संशोधन सुझा सकता है । यदि उसके सुझाव को मानना ही नहीं है तो उसकी उपयोगिता ही क्या है ? अतः जब राज्य सभा ने उसे वापस भेजा है तो उसके सुझाव या सिफारिश पर विचार होना चाहिये न कि उसे रद्दी की टोकरी में डाला जाये । राज्य सभा की सिफारिश को पूरा सम्मान दिया जाये ।

**श्री जी० एम० बनतवाला** (पोन्नानी) :मुझे खुशी है कि राज्य सभा ने समयानुकूल सिफारिश की है । इस शुल्क को हटाने के लिए मैंने स्वयं एक संशोधन दिया था लेकिन वह स्वीकार नहीं हुआ ।

राज्य सभा द्वारा सिफारिश के साथ विधेयक को लौटायें जाने से लोक सभा को निर्णय लेने से पूर्व उस पर विचार करने का एक और अवसर मिल गया है । हम दलगत भावना से ऊपर उठकर कोयले और बिजली पर शुल्क सम्बन्धी मतैक्य दिखायें ।

यह निर्विवाद है कि यह शुल्क मुद्रास्फीति के लिए उत्तरदायी होंगे । इनका भार सामान्य उपभोक्ता और गरीबों पर पड़ेगा तथा आर्थिक स्थिति और बिगड़ेगी ।

खेद है कि यह अविवेकपूर्ण शुल्क उस समय लगाया गया है जबकि राज्य अपने स्त्रोतों में अधिक हिस्सा मांग रहे हैं । वित्तीय अधिकारों को लेकर केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में तनाव बढ़ रहा है और ऐसे समय राज्यों पर ही शुल्क लगाया जा रहा है । इसे वापस लिया जाये ।

**श्री टी० ए० पाई (उदीपी)** :हम इन दोनों उपायों का विरोध करते हैं जो अदूरदर्शिता के कारण लगाये गये हैं । एक कारण यह बताया गया है कि कोयला क्षेत्र में भारी निवेश किया गया है अतः यह संसाधन जुटाने आवश्यक हैं । हमने भी निवेश की योजना बनाई थी लेकिन ऐसे ढंग से संसाधन जुटाने की हमने कभी नहीं सोची ।

सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति के लिए कराधान लगाया जाये तो उस पर सहमति हो सकती है लेकिन इस कर का प्रभाव तो निर्धन लोगों पर ही पड़ेगा ।

जहां तक विद्युत का प्रश्न है सरकारी क्षेत्र के सभी एककों की 60 से 80 करोड़ तक रुपया चुकाना है जिस पर सी एम ए $15\frac{1}{2}\%$ ब्याज देता है। इस अकुशलता को लोगों पर कर लगा कर क्यों पूरा किया जा रहा है ।

अब ग्रामीण विद्युतिकरण का काम भी रुक गया है क्योंकि लोगों को इसकी कीमत ज्यादा देनी पड़ती है । मेरे विचार से स्वयं विद्युत बोर्डों को टैरिफ लगाना चाहिये । बोर्डों को अत्यन्त कुशल ढंग से चलाया जाये न कि उनमें अकुशलता बढ़ाई जाये ।

लेकिन ये कर तो बिल्कुल अनुचित हैं और इसे प्रतिष्ठा का विषय न बनाया जाये । राज्य सभा द्वारा जो छूट की सिफारिश की गई है उसे स्वीकार किया जाये ।

**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : कोयला तथा बिजली पर शुल्क लगाने से छोटे पैमाने के उद्योगों पर बहुत प्रभाव पड़ेगा । इस बात पर हमें उनसे कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । यह कोयले की अनुपलब्धता या छोटे पैमाने के उद्योगों को ठीक समय पर कोयला न पहुंचने का प्रश्न नहीं है । जो छोटे उद्योग बिजली से चल रहे हैं वे भी प्रभावित होंगे क्योंकि उन्हें पर्याप्त बिजली नहीं मिलती ।

ऊर्जा मंत्रालय की योजना में ग्रामीण विद्युतीकरण का प्रस्ताव है । क्या सरकार यह सोचती है कि भूमिहीन श्रमिक, हरिजन तथा गरीब किसान बिजली प्रभार दे सकेंगे ?

अतः देश के गरीब लोगों के नाम पर, राज्यों के नाम पर तथा देश में लोकतंत्र पुनः कायम करने के नाम पर मैं वित्त मंत्री से अपील करती हूं कि वह राज्य सभा की सलाह पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और इस उपबन्ध को वापस लें ।

**Shri Vasant Sathe** (Akola) : Mr. Speaker, Sir, I was of the view that the Finance Minister and the Members of Janata Party would consider this matter from abroad angle. I hoped that partisan consideration would not be brought in this matter. There had been instances during the last Lok Sabha, where the ruling party agreed to the proposals or suggestions made by the opposition. I failed to understand whether the Janata Party rally believe that the levy of duty on electricity will benefit the common people.

Again so far as the duty on coal in concerned, however small it may be, it has a chain reaction and the prices of various Commodities will be increased under one pretext or the other and ultimately it is the consumer who to bear the burden.

The Finance Minister talked about giving exemption to certain industries on merits. This loophole will give rise to corruption.

We have already a big deficit in our budget. Let the Finance Minister gather a bit more courage and not impose the duties which affect the common people.

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (जादवपुर) : जब वित्त मंत्री को इस मामले पर विचार करने के लिए एक और अवसर प्राप्त हो गया है तो इस पर समुचित रूप से विचार किया जाना चाहिए । यह एक महत्वपूर्ण मामला है क्योंकि इन शुल्कों को लगाने से इस देश का जनसाधारण प्रभावित होगा । इससे छोटे उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा जो कि बिजली तथा कोयले का उपयोग करते हैं । यहां तक कि बड़े उद्योग भी स्वयं इन शुल्कों का भार वहन नहीं करेंगे । वे इन शुल्कों का भार जनसाधारण पर डाल देंगे । यह राशि बहुत बड़ी नहीं है । यदि यह शुल्क नहीं लगाया जायेगा तो इससे जनसाधारण को लाभ होगा । इस राशि की पूर्ति अन्य तरीकों से की जा सकती है ।

हमारा अनुभव है कि यद्यपि सरकार ने देश में लोकतंत्र की पुनः स्थापना कर दी है और आपात स्थिति में काले दिन समाप्त हो गए हैं फिर भी लोगों में निराशा घर कर रही है। इसका कारण यह है कि जो उनकी दिन-प्रतिदिन की समस्याए हल नहीं हो रही हैं । अतः सरकार को राज्य सभा द्वारा पेश किए गए सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए । इस सम्बन्ध में सभी विपक्षी दलों की एक ही राय है अतः सरकार को गरीब लोगों को इन शुल्कों से बचाना चाहिए और लोगों में यह भावना पैदा करनी चाहिए कि सरकार उनका ध्यान रखती है ।

**श्री ए० सी० जार्ज (मुकन्दपुरम)**: कोयला तथा बिजली पर उत्पादन शुल्क लगाना अनुचित है। केरल राज्य में हम बिजली के उत्पादन को बढ़ाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं और यहां तक कि पड़ोसी राज्यों को भी बिजली की सप्लाई कर रहे हैं। उन राज्यों ने विधायी संकल्पों के माध्यम से वित्त मंत्री से अनुरोध किया है कि वह इन शुल्कों में वृद्धि न करें। किन्तु वित्त मंत्री अभी भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं।

यदि इस तर्क को मान भी लिया जाये तो वित्त मंत्री स्थानीय प्राधिकारों द्वारा सप्लाई किए जाने वाले पीने के पानी पर भी शुल्क लगा देंगे । अतः केन्द्र-राज्यों के के सम्बन्धों के हित में, उपभोक्ताओं के हित में और अन्ततोगत्वा देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के हित में, मैं वित्त मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिशों पर समुचित ध्यान दें।

**वित्त मंत्री (श्री एच० एम० पटेल)** : मैंने विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त किये गये विचार ध्यान से सुने हैं। वे इस विषय का महत्व समझ ही नहीं रहे हैं । उनके तर्क अर्थहीन हैं । उनमें कोई तालमेल नहीं है ।

1050 करोड़ रुपये के घाटे के बारे में पहले उन्होंने यह कहा कि इसके निराशाजनक तथा भंयकर परिणाम निकलेंगे और आज वही लोग कह रहे हैं कि 187 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राँशि से कोई प्रयोजन हल ही नहीं होगा। जो कुछ वे कहते हैं वह भूल जाते हैं। उनका कहना है कि चूंकि राज्य सभा ने इसे भेजा है अतः हमें इसे स्वीकार करना चाहिये। अब उनका यह कहना है कि हमें इन उपायों पर पार्टी लाइनों पर विचार नहीं करना चाहिये अपितु कुछ अन्य लाइनों पर विचार करना चाहिये। पार्टी लाइनों का या अन्य लाइनों पर इनपर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता। समूचे प्रश्न पर उचित रूप से विचार किया जायेगा। यदि इस विकास योजना के लिये भारी राशि की आवश्यकता होती है तो यह राशि कैसे जुटाई जायेगी।

यह स्वीकार करते हुए कि विकास करना वांछनीय है और यह भी स्वीकार करते हुए कि कुछ विकास परियोजनाएं अच्छी हैं और चलाई जानी चाहिये, उनके लिये राशि जुटानी ही पड़ेगी।

कुछ सदस्यों ने केन्द्र-राज्य विवाद सम्बन्धी मामला भी उठाया है। केन्द्र-राज्य विवाद का प्रश्न ही नहीं उठता। विचारों में मतभेद हो सकता है जो लोकतंत्र में सदैव रहता है और जहां वाक स्वातंत्र्य हो वहां ये मतभेद रहता है। अतः उन्हें ऐसे तर्क नहीं देने चाहिये। सदस्यों को यह महसूस करना चाहिये कि कुछ अवसरों पर बोझ लादना पड़ता है और उसे बर्दाश्त करना पड़ता है। उनमें से यह एक अवसर है। अतः मैं इस सिफारिश को रद्द करने की उनसे अपील करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"(1) कि वित्तीय वर्ष 1978-79 के लिये केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा सिफारिश किये गये निम्नलिखित संशोधन पर विचार किया जाये :—

**संशोधन**

**खंड 36**

कि पृष्ठ 31 पर पंक्ति 32-40 को निकाल दिया जाये।

(2) कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश अस्वीकृत की जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted**

**अध्यक्ष महोदय** : अब हम राज्य सभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधन को लेंगे।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

**The Lok Sabha divided.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| पक्ष में Ayes | 86 | विपक्ष में Noes | 161 |

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

**The Motion was negatived.**

**श्री एच० एम० पटेल :** मैं प्रस्ताव करता हूं "कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश अस्वीकृत की जाये ।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न यह है : "कि राज्य सभा द्वारा की गई सिफारिश अस्वीकृत की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

**The motion was adopted.**

**अध्यक्ष महोदय :** अब हम अविश्वास प्रस्ताव पर आते हैं....

**Shri Ram Vilas Paswan (Hajipur) :** On a point of order Sir, As the House has noted the Finance Bill what is the relevance of a no confidence motion now ?

**अध्यक्ष महोदय :** यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

**श्री वयालार रवि (चिरमिकील) :** नियम 353 के अधीन आरोप लगाए जाने पर मंत्री को उत्तर देने की अनुमति प्रदान की गई है । इसके द्वारा सदस्य को आरोप लगाने की मनाही नहीं है ।

**अध्यक्ष महोदय :** मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाहते हैं ?

**श्री वयालार रवि :** कल बोलते हुए मैंने प्रधान मंत्री के निजी सचिव का नाम लिया था परन्तु आज मैंने देखा है कि इसे वाद-विवाद से निकाल दिया गया है । सरकारी अधिकारियों के मान लेने का हमारा अधिकार है । मंत्री यदि चाहें तो उनकी रक्षा कर सकते हैं । मैं इस पर अपका विनिर्णय चाहता हूं ।

**अध्यक्ष महोदय :** उस समय मैं यहां नहीं था । मैं इस मामले पर विचार करके ही अपनी राय दे सकता हूं ।

मंत्रिपरिषद् में अविश्वास का प्रस्ताव—जारी

## MOTION OF NO CONFIDENCE IN THE COUNCIL OF MINISTERS—Contd.

**श्री अशोक कृष्ण दत्त** (दमदम) : मैंने कल भी कहा था कि विरोधी नेता प्रत्यक्षतः मामला लाने में असफल हुए हैं । उन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं वे क्या हैं ? उन्होंने उत्तर प्रदेश से एकमात्र संसदीय स्थान जीतने और उत्तर प्रदेश विधान सभा में दो सीटों को जीतने के अलावा और कोई नई बात नहीं कही है ।

विरोधी नेता ने यह कहा है कि जनता शासन के इन 13 महीनों में लोकतन्त्री अधिकार समाप्त किये जा रहे हैं । हम प्रतिरोध का लोकतन्त्री अधिकार खोते जा रहे हैं । उन्होंने जो कुछ कल कहा था क्या उसमें उन्हें स्वयं विश्वास है ? जनता सरकार के तुरन्त पूर्व की उस सरकार के शासन में, विशेषकर आपातकालीन के 19 काले महीनों में जो कुछ हुआ क्या वह उन्हें याद नहीं है ? क्या जनता सरकार ने व्यक्तिगत अधिकार बहाल नहीं किये और क्या विरोधी पक्ष के सदस्य सभा में तथा उससे बाहर वह सभी कुछ कह रहे हैं जो वे चाहते हैं ?

विरोधी पक्ष के प्रत्येक वक्ता ने हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में कहा है । हरिजन समस्या देश में एक अत्यन्त गम्भीर समस्या है और हम सबको इस पर शर्म आती है ? यह शताब्दियों से होता आ रहा है और इस मामले पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार किया जाना चाहिये । जहां कहीं ऐसे अत्याचार होते हैं उन्हें न केवल रोका जाना चाहिये अपितु इस बात की भी पूर्ण जांच की जानी चाहिये कि इनके पीछे किसका हाथ है । मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि एक ऐसा वर्ग, जो राजनीतिक रूप से निराश हो गया है, साम्प्रदायिक स्थिति पैदा करने का प्रयास कर रहा है ताकि वे उस स्थिति का लाभ उठा सके ।

सरकार की विदेश नीति की भी आलोचना की गई है और यह कहा गया है कि विदेश नीति के बारे में इस सरकार के पास कोई नई बात नहीं है, यह हमारी विदेश नीति का ही अनुसरण कर रही है । नेपाल, बंगलादेश और श्रीलंका तथा पाकिस्तान जैसे पड़ौसी देशों के साथ हमारे सम्बन्ध सुधरे हैं फिर भी विरोधी नेता ने सिक्किम के बारे में प्रधान मंत्री के वक्तव्य के लियें उनकी आलोचना की है । जो कुछ प्रधान मंत्री ने कहा वह बिल्कुल ठीक है । सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग है । सिक्किम के लोग भारत में आना चाहते थे । यह एक उचित तथा नियमित ढंग से किया जा सकता था । परन्तु श्रीमती गांधी की सरकार ने जो हथकण्डे अपनाये उनकी आलोचना की गई है । प्रधान मंत्री का यह कहना सही है कि प्रक्रिया गलत थी । हमें इस प्रकार के साहसपूर्ण तथा जोरदार वक्तव्य पर गर्व है ।

विपक्ष ने शाह आयोग की भी आलोचना की है। विपक्ष के नेता ने कहा है कि यह बदले की कार्रवाई है। यह कहना गलत है। आयोग कोई भी काम बदले की भावना से नहीं कर रहा, वह देश की बड़ी सेवा कर रहा है, जिससे भविष्य में कोई एक व्यक्ति या परिवार या चौकड़ी हमारे इस महान देश का शोषण न कर सके।

**The Minister of Defence (Shri Jagjivan Ram) :** The Leader of the Opposition had perhaps brought forth this no-confidence motion only to maintain the tradition of bringing forth such a motion because he has not been able to put forth any substantial issue, and moreover, several members have themselves admitted that they are not very serious about it. As a mater of fact, there was neither any occasion nor any justification for bringing forth such a motion.

The only issue they had been able to put forth is that there was no integration in the Janata Party. But the fact could not be ignored that there is no example in the history of the world where a political party, before it was formally constituted, had overthrown the Government that had been functioning for thirty years. It was done by Janata Party in March, 1977, while it was formally constituted on 1st May, 1977. The Janata Party had been a living institution and the difference of opinion would continue to be there so long as there were intellectuals in the Janata Party. But that will not give any benefit to the Opposition.

Preference has been made to atrocities on Harijans, and also to unrest among students. But the problem of Harijans is not a new problem; it is a national problem and its solution has to be sought with a national approach. It is natural that vested interests encouraged opression and exploitation when a particular oppressed section of society rose up in revolt against that oppression so that their efforts to free themselves were nipped in the bud. It is a good sign that the Janata Party has created a consciousness among the exploited sections of society to liberate themselves from that exploitation. It is not a party question, but a national problem. Similarly, the problem of unrest among students and the closure of educational institutions or universities were matters of concern for all the parties.

Mention has also been made about the unrest among workers. But it must be admitted that our social and economic system requires radical changes and a serious thought had to be given to the question whether it was desirable to maintain the vested interests in these fields. Now, since the Janta Party is taking all measures to convert our traditional society into a modern society, the agony of the vested interests is natural. But is is hoped that the opposition parties would not associate themslves with the voice of those vested interests.



21 LSS/73 —2

The Janata Party is committed to strengthening healthy and democratic traditions in the country and it is, therefore, suggested that the opposition parties should mould themsves to play the role of healthy and effective opposition and should indulge in a healthy debate. They should act in a more responsible manner and therefore, should withdraw this motion which has no substance.

**श्री बी० शंकरानन्द** (चिकोड़ी) : मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । जनता पार्टी की सरकार इस सभा में और सभा से बाहर आपस में एकमत नहीं है । ऐसी सरकार देश के लोगों को विश्वास कैसे दिला सकती है ? मैं प्रधान मंत्री तथा उनकी सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि गत एक वर्ष में उन्होंने क्या काम किया है । क्या अनुसूचित जातियों और अनुचचित जनजातियों के लोग आप से खुश हैं ? क्या वे आपके शासन में अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहे हैं ? क्या अन्प संख्यक सुरक्षित हैं ?

आज देश में क्या हो रहा है । स्वतन्त्रता के नाम पर कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है । हड़तालें बढ़ती जा रही हैं । श्रमिकों में असन्तोष बढ़ता जा रहा है । मंहगाई, अपर्याप्त परिवहन सुविधा, अकुशल प्रशासनिक अधिकारियों और बिजली पानी सप्लाई के बार-बार फेल होने से जनजीवन संकटमय बन गया है । क्या कच्छ से आसाम और काश्मीर से कन्याकुमारी तक देश के किसी भी भाग में शान्ति है ? मुझे खेद है कि इस अविश्वास प्रस्ताव को बड़े हल्केपन से लिया जा रहा है । विपक्ष और सत्ताधारी दल के अविश्वास प्रस्ताव के प्रति गम्भीरता का जो अभाव इस बार प्रदर्शित किया है वैसा कभी नहीं किया गया ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मध्याह्न भोजन के बाद अपना भाषण जारी रखें ।

**तत्पश्चात् लोक सभा 14 बजे तक के लिये मध्याह्न भोजन के लिये स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.**

**लोक सभा मध्याह्न भोजन के बाद 2.05 बजे पुनः समवेत हुई ।**

**The Lok Sabha re-assembled after Lunch at five minutes past Fourteen of the clock.**

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**(Mr. Speaker in the Chair)**

**सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण**

**Member Sworn**

**श्रीमती मोहसिना किदवई** (आजमगढ़)

**मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव—जारी**

**Motion of No Confidence in the Council of Ministers—Contd.**

**अध्यक्ष महोदय** : श्री शंकरानन्द अपना भाषण जारी रखेंगे ।

**श्री बी० शंकरानन्द** : देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है । केवल इस सदन में ही नहीं अपितु देश की कानून और व्यवस्था सम्बन्धी स्थिति के बारे में राष्ट्रपति ने भी अपनी चिन्ता व्यक्त की है । ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री अपने मंत्रियों के साथ खुश नहीं हैं और हर मंत्री उनके लिए एक समस्या बना हुआ है । उन्हीं के मंत्रियों ने भी जनता पार्टी के बारे में विपरीत राय व्यक्त की है । यहां तक कि गृह मंत्री ने जो कि जनता पार्टी के लीडर हैं, उन्होंने भी पार्टी के प्रति अपना अविश्वास प्रकट किया है ।

अनेक हरिजन सदस्यों ने मांग की है कि सरकार को त्यागपत्र दे देना चाहिये । स्वयं जयप्रकाश नारायण ने भी पार्टी में अविश्वास व्यक्त किया है तथा कहा है कि उनका इस पार्टी तथा सरकार में विश्वास नहीं है । अत: यदि कोई यह मानकर चलता है कि जनता पार्टी तथा सरकार ठीक से कार्य कर रही है, तो यह अपने आपको हौसला देने वाली बात होगी तथा इससे देश नष्ट हो जायेगा । इसलिए यह अविश्वास प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ।

**श्री एम० एन० गोविन्दन नायर** (त्रिवेन्द्रम) : जहां तक जनता पार्टी के कार्यकरण का सम्बन्ध है, इसके एक वर्ष के कार्यकरण में एक हजार से भी अधिक हरिजनों को मौत के घाट उतारा जा चुका है । सैकड़ों औरतों से बलात्कार किया जा चुका है तथा कई हज़ार लोगों से उनकी भूमि छीनी जा चुकी है । अस्पृश्यता को भी बढ़ावा मिलने लग गया है । यह सभी बातें जनता के लिए भारी चिन्ता का विषय है ।

इसी एक वर्ष में ही 300 मजदूरों को पुलिस द्वारा गोली से मारा जा चुका है । मज़दूर संघों के शक्ति देने में एक संगठित शक्ति के रूप में व्याप्त है । जब तक मज़दूरों को इस प्रकार से मारना बन्द नहीं किया जाता तब तक उन्हें मज़दूरों के अधिकारों के लिए आन्दोलन करना चाहिये । मैं समझता हूं कि सदन यही चाहता है कि इस प्रकार के अत्याचारों को समाप्त किया जाना चाहिये । अब हमें यह देखना है कि सदन की इस इच्छा को क्रियान्वित कब तक कर दी जायेगी ।

हम यह चाहते हैं कि हमारे देश में संसदीय लोकतन्त्र प्रणाली चलती रहे तथा संविधान में लोगों को जो समानता का अधिकार दिया गया है वह देश के सभी लोगों को उपलब्ध हो । यह केवल कागज पर ही न रहे अपितु उसकी वास्तविक क्रियान्विति की जाये ताकि लोग इसका लाभ उठा सकें ।

काम करने का अधिकार देने सम्बन्धीं आधारभूत प्रश्न को भी उठाया गया है। परन्तु जिन लोगों ने इस अधिकार की मांग की, उन पर उल्टा गोली चलाई गई। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की गोली चलाये जाने वाली घटनाओं की न्यायिक जांच होनी चाहिये। आगरे की घटना की न्यायिक जांच करवाई जाये। पन्तनगर में पी० ए० सी० को वापिस बुलाया जाये, उप-कुलपति की गतिविधियों की न्यायिक जांच करवाई जाये, संघ को मान्यता प्रदान की जाये तथा सम्पूर्ण मामला बातचीत द्वारा हल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

**Shri Ram Vilas Paswan** (Hajipur) : It appears that opposition parties are themselves not prepared to take up this no-confidence motion and they want the postponement of its discussion. The motion of no-confidence had always some significance but this time, it has been so lightly brought forth that there appears to be no justification for it. It is most regrettable to note that the opposition has failed to maintain he dignity of this no-confidence motion. Just one victory in a bye-election will not lead to correct appreciation of things. The opposition has no moral right to say anything about Shri Jaiprakash Narayan because they only believe in personality cult.

Reference is made to planning, but there is no dearth of proof to show that during the last thirty years of planning, the assets of big industrialists like Birlas and Tatas had increased many times. Now, when this Government has adopted a right approach in regard to planning and development of the rural sector, it is being criticised as a retrograde step.

The question of law and order is also raised. When certain personalities are bent upon creating disorder and unrest they are using workers, Harijans and other backward sections to fulfil their own ends. It is no use shedding crocodile tears over the plight of Harijans, because in the regime of the previous Government, Harijans were put to more oppression and harassment than at present.

**श्री रागावेलू मोहनरंगम** (चेंगलपट्टू) : चावल का वसूली मूल्य 75 रुपये है जबकि गेहूं का वसूली मूल्य बढ़ाकर 112 रुपये कर दिया गया है। हम पिछले 6 महीनों से धान के मूल्य में वृद्धि करने की मांग करते आये हैं। जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद हमने सोचा था कि वे धान का वसूली मूल्य बढ़ायेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इसका कारण केवल यही हो सकता है कि दक्षिणी भारत में चावल और उत्तरी भारत में गेहूं की अधिक खपत होती है।

तमिलनाडु तथा आन्ध्र प्रदेश में आई अभी हाल की प्राकृतिक आपदा के लिए केन्द्रीय सरकार ने इन राज्यों को समुचित सहायता नहीं दी। तमिलनाडु को 37

करोड़ रुपये दिए और वे भी अनुदान के रूप में नहीं बल्कि योजना आवेदन के रूप में दिये हैं ।

भाषा के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी जानने वाले अधिकांश सभी मंत्री हिन्दी बोलते हैं जो कि उन लोगों के लिए हानिकारक हैं जो कि हिन्दी नहीं जानते । लाभ और हानि का वितरण समानता से किया जाना चाहिए । मुझे आशा है कि अंग्रेजी बोलने की योग्यता रखने वाले सभी मंत्री तथा सदस्य अंग्रेजी में बोलेंगे ताकि अन्य सदस्य भी समझ सकें कि क्या बोला गया है ।

इस चर्चा में भाग लेने का मेरा उद्देश्य सत्तारूढ़ दल की गल्तियां बताना है । मैं कुछ गल्तियां बता चुका हूं और आशा करता हूं कि सरकार उन पर समुचित ध्यान देगी ।

**Shri Mohd. Shafi Qureshi** (Anantnag) : It appears as if there are two no-confidence moitions before the House; one by the opposition against the existing ruling party and the other by the Janata Party against the former Government, Indira Gandhi Government, against whom they are doing shadow boxing.

The Janata party claimed that they have restored freedom of speech to the people, but it also appears as if they have closed their ears. They do not hear to what we say.

If the present policy of the Janata Party continued, atrocities on Harijans and Muslims will also continue. But I would like to warn the Government that today the poor and downt rodden people of the country has awakened and no power of the world will be able to suppress them now. If nothing is not done for the uplift of 30-40 crores of people living below the line of poverty, the Janata Government will also be removed from power in the manner we are removed. Today the confidence of the people in the Janata Government has shaken and they think that there is no Government today. Therefore, the Janata Government should resign. This is why we have brought this no-confidence motion against them.

Our militay personnel are leading a very hard life to protect the borders of our country. But the statement made by the Prime Minister that we have annexed Sikkim in an immoral manner, has shaken their confidence. If they feel that they are defending an occupied territory will they perform their duty with full sincerity ?

We had been able to create our image of self-reliance in foreign countries, but that too has been destroyed by the Janata Party. Today they are begging uranium from America. They are taking the country 4000 years back

by their policy for science and technology, for which all countries are laughing at us.

When we talk of the law and order situation the Home Minister says that it is a State subject, but he took keen interest in toppling down the duly elected Governments of some States. When we raise the issue of difficulties and troubles of the poor in the Capital, he said that this matter relates to the Delhi Administration. Such a Home Minister shoud be made Minister without portfolio. He has always suprresed the down-trodden through tear gas shells, lathi charge and firing.

Today there is chaos and anarchy everywhere in the country—in villages, in the colleges and Universities, in the offices and factories, in the streets and markets. Law is being broken everywhere. Every day, in some or the other part of the country the poor were being killed. If on any day no such incident take place, one would find a railway accident taking place.

The Janata Party had promised that justice will be done with everybody But has they done it ? They have included a person who is guilty of embezzlement etc. in their Cabinet of Ministers. It has led the people to believe that today law is not meant for a Minister, but it is for the helpless poor only.

Today no Ministry is doing their job fully and with sincerity.

The Janata Party is to break, it may break but the country must not break.

**Shri Hukmdeo Narain Yadvae** (Madhubani:) When Dr. Lohia spoke on the no-confidence motion against the Congress regime, he raised certain basic issues to which the then Government could not reply, but today the opposition has totally failed in raising any such issues which will have won the heart of anybody.

The Leader of the Opposition, Shri Stephen, stated many reasons for the defeat of the Janata Party in Azamgarh bye-election but Smt. Indira Gandhi has stated that the only reasons for the Janata's defeat is Sanjay's judicial custody, being frustrated from which the people voted against Janata Party.

The opposition leaders have levelled many allegations and have pointed out many problems being faced by the country But are these problems the creation of the Janata Party ? We have simply received them in legacy from the previous regime. They have simply talked of the ills and problems and have failed to suggest any remedial measures therefor.

They have talked of the student unrest in the country. But who is responsible for that ? The unrest among the stucent community is not against the Government, but against the education set-up established by the previous regime in the country as a result of which our colleges and Universities can produce only white-collar job lovers and the number of educated unemployed also go on increasing. Neither the then Government took any step to remedy the situation. nor today they, sitting in opposition, have suggested any remedial measures.

Government's policy towards multi-nationals and foreign companies is also criticised. But has the Janata Government issued licences during these 13 months to the 477 foreign concerns functioning in the country? It is the Congress regime which permitted them to flourish here.

It is the result of the planning adopted by the Congress regime that 10 per cent people of the country are having 37 percent of the natioal income. This income in their case was about Rs. 2400 while that of the person belonging to lowest level is Rs. 117 only. This greateconomic and social disparity is the result of policies adopted by the previous regime.

Even tocay Shrimti Indira Gandhi has two faces. When she went to South, she talked of reservations for harijans and backward classes, but when she went to Norther States she supported Dwijas.

It was during the Congress regime in Bihar that about 200-300 harijans were shot dead in the name of their being Naxalites. The Janata Government today in Bihar is taking all necessary action promptly in cases of atro cities on harijans, if any, in that State.

I would request the opposition members to perform the duties of opposition sincerely. If their leader is not able to do so, he should quit;

**श्री वंसत साठे (अकोला)** : मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन सरकार को नीचा दिखाने के लिए नहीं कर रहा बल्कि देश में विद्यमान वास्तविक स्थिति की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए जनता के प्रतिनिधि के रूप में अपना कर्त्तव्य निभाने की भावना से कर रहा हूं। एक वर्ष पूर्व जनता ने जो इस सरकार में अपना विश्वास प्रकट किया था, वह दिन-प्रतिदिन हटता जा रहा है। आज देशवासी जनता सरकार में हो रही अनुचित बातों के कारण निराश और हताश हो गए हैं।

जब जनता पार्टी सत्ता में आई थी तो लोगों ने कांग्रेस सरकार के प्रति उसकी भूल चूकों के लिए आक्रोश प्रकट किया था, किन्तु आज देशवासी जनता सरकार पर क्रोधित हैं क्योंकि यह सरकार देशवासियों के हितार्थ कुछ भी करने में असफल रही

है। जनता का कोई आर्थिक उत्थान नहीं हुआ है और इस प्रकार जनता की सभी आकांक्षाओं पर पानी फिर गया है।

आज जनता पार्टी अपनी सारी शक्ति एक ही बात पर नष्ट कर रही है कि श्रीमती इंदिरा गांधी पर किस तरह मुकदमा चलाया जाये दुर्भाग्य से वे स्वयं जाल में फंस गए हैं। उन्होंने ऐसा जाल बुना कि वे स्वयं उसमें फंस गए। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाये। जब जनता पार्टी सत्ता में आई तो मुझे आशा थी कि जिस तरह अमरीकी लोगों ने निक्सन को भुला दिया था उसी तरह जनता पार्टी इंदिरा गांधी को भूल जायेगी। किन्तु मैं जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि उनके शासन काल में इंदिरा गांधी का अधिक प्रचार हुआ है। इतना प्रचार तो उनका आपात स्थिति के दौरान भी नहीं हुआ था।

वित्त मंत्री तथा प्रधान मंत्री रोज ही हमें यह कहते हैं कि मूल्यों में स्थिरता आई हैं। क्या यह सही है? दूध का मूल्य, टायरों का मूल्य, जल तथा बिजली की दरें सभी बढ़ गए हैं। बाजार से साबुन गायब हो गया है और यहां तक कि वनस्पति घी भी नहीं मिल रहा है। उन्हें वातस्तविकता से आंखें नहीं मूंद लेनी चाहिएं।

आज किसानों को उनके उत्पादन के लिए लाभप्रद मूल्य नहीं दिया जा रहा है। गन्ना उत्पादकों, धान उत्पादकों, गेहूं उत्पादकों, पटसन उत्पादकों तथा कपास उत्पादकों की रक्षा नहीं हो रही है।

श्रमिक वर्ग अप्रसन्न तथा असंतुष्ट है। रेल श्रमिकों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे हड़ताल करेंगे। कार्मिक संघों ने भूथलिंगम आयोग का बहिष्कार करने का निर्णय किया है।

'देश में छात्र भी खुश नहीं हैं। जनता सरकार ने बेरोजगारी की समस्या हल नहीं की है और न ही इस सम्बन्ध में कुछ काम किया है। आज समाज का कोई भी वर्ग ख़ुश नहीं है।

विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री भुट्टो तथा भारत की भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच एक गुप्त समझौता होने की बात की थी। कोई नहीं जानता कि वह गुप्त समझौता क्या है। किन्तु मुझे यह बताया गया है कि वह गुप्त समझौता हमारे विदेश मंत्री तथा श्री जिया के बीच था कि विदेश मंत्री को इस गुप्त समझौते के बारे में यहां कोई वक्तव्य देना चाहिए ताकि श्री भुट्टो की आलोचना हो सके तथा जिया के हाथ मजबूत हो सकें। हमारे विदेश मंत्री ने सोचा कि वह एक पत्थर से दो चिड़ियां मार सकते हैं। इसी लालच में उन्होंने इस मनगढंत गुप्त समझौते की बात की। यदि उनमें साहस है तो वह उस दस्तावेज को यहां दिखा सकते हैं।

जांच आयोग का अध्यक्ष कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होना चाहिए जो कि बिना पक्षपात के काम करे।

**श्री सौगत राय (बैरकपुर)** : हम यह अविश्वास प्रस्ताव जनता सरकार को गिराने के लिए नहीं लाये हैं बल्कि हम तो उसे होश में लाना चाहते हैं जिसकी इस भानमति के पिटारे वाली सरकार में कमी है।

लोगों ने जनता पार्टी को दो कारणों से मत दिया था। एक तो यह कि जनता पार्टी श्री जय प्रकाश नारायण के नवनिर्माण आन्दोलन के बाद बनी है और उसमें नैतिक मूल्य होगें। दूसरे यह कि कठिन राष्ट्रीय स्थिति में जनता पार्टी एक सुगठित दल बन जायेगा। लेकिन ये दोनों आशाएं धूमिल हो गई हैं।

यह सरकार वास्तव में सरकार नहीं है। इसने अपने अधिकारों को त्याग रखा है। देश के अधिकांश भागों में कोई प्रशासन नहीं। क्या कारण है कि इतनी लोकप्रिय जनता पार्टी इतने अल्प समय में इतनी अलोकप्रिय हो गयी है। जब ये लोग सत्ता में नहीं थे तो उन्होंने लोगों के मन में बहुत आशाएं जगा दीं। जो व्यक्ति भी ऐसे झूठे आश्वासन देता है उसका हाल खराब हो जाता है। जनता पार्टी के साथ भी ऐसा ही होगा। यदि देश का राजनीतिक स्वास्थ्य सुधारना है तो हमें ऐसी झूठी आशायें नहीं जगानी चाहियें।

यह कहा गया कि आपातकाल में एक चौगुट का शासन था और यह चौगुटा प्रधानमंत्री सचिवालय में केन्द्रित था। लेकिन आज एक नया चौगुटा पैदा हो रहा है। ब्लिटज के अनुसार मास्को जाते समय प्रधान मंत्री का विमान बिना किसी पूर्व कार्यक्रम के तेहरान में रुका और वहां श्री कान्ति भाई अकेले उतरे। पोलियेस्टर फिलामेंट के आयात के बारे में 100 संसद् सदस्यों ने आरोप लगाये हैं। प्रधान मंत्री को इन आरोपों को गम्भीरता से लेना चाहिये।

आज सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां श्री वी० शंकर द्वारा होती हैं। देश में एक नया चौगूटा नहीं बनना चाहिये। हम चाहते हैं कि यह सरकार 5 वर्ष तक बनी रहे। लेकिन वे अपने घर को तो ठीक-ठीक कर लें और अपने भेद-भाव समाप्त कर लें। सरकार दृढ़ता से और प्रतिष्ठापूर्वक कार्य करे। उसमें ईमानदारी और न्यायप्रियता होनी चाहिये।

**श्री दाजीबा देसाई (कोल्हापुर)** : अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने के लिये मुझे दिये गये अवसर के लिये में आपका आभारी हूं।

**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**

**Mr. Speaker is in the Chair.**

जनता पार्टी और कांग्रेस की मूल नीतियों में अंतर नहीं है। जनता सरकार ने सम्पूर्ण क्रांति के नारे द्वारा सत्ता प्राप्त की है। लेकिन अभी तक यथा स्थिति है। हरिजनों पर अत्याचार, निर्धनता और कानून तथा व्यवस्था राष्ट्रीय समस्याएं बन चुकी हैं। पिछले 30 वर्षों में पिछली सरकार उनका समाधान नहीं ढूंढ सकी। नया शासन भी कोई हल नहीं निकाल सका। इसीलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मैं श्री स्टीफन द्वारा दिये गये तर्क पर समर्थन नहीं करता बल्कि मुझे पिछले और वर्तमान शासन में अन्तर नहीं दिखाई देता।

पिछले सत्ताधारी दल ने कोठारी आयोग पर अपनी शिक्षा नीति को आधारित कर रखा था। जनता सरकार भी उसी आयोग पर निर्भर है। पिछली सरकार की भांति यह सरकार भी कृषि मूल्य आयोग पर निर्भर है। अतः जनता सरकार श्रीमती गांधी की आर्थिक नीतियों पर ही चल रही है।

जनता पार्टी ने पूर्ण क्रांति के नारे में काम प्रारम्भ किया था। उसके लिए पूर्ण समाजवादी नीति की जरूरत है। निर्धन लोगों को कुछ रियायत देकर और उद्योगपतियों को भारी मुनाफा कमाने का अवसर देकर असमानता दूर नहीं की जा सकती। योजना द्वारा उद्योगपतियों को तो खूब लाभ होगा लेकिन कृषि मजदूरों का श्रमिक वर्ग के लिए जरूरत पर आधारित मजदूरी का उसमें कोई आश्वासन नहीं दिया गया। यह अविश्वास प्रस्ताव सरकार के लिए चेतावनी है। उसे अपनी नीतियों को बदलना होगा।

**प्रधान मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)**: विरोधी पक्ष को अविश्वास प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है—वे इस जिम्मेदारी से करें या गैर-जिम्मेदारी से यह देखना उनका काम है। मैंने सोचा था कि जो कुछ कहा जायेगा उससे कुछ लाभ होगा और सरकार सुधारी जाने वाली गलतियों को सुधारेगी। परन्तु हमें ऐसी कोई चीज सुनने को नहीं मिली। जबसे यह सरकार बनी है में एक ही बात सुनता आ रहा हूं।

केवल दो नये तर्क सुनने को मिले हैं। ये हैं कि मेरे प्रधान सचिव ही सरकार को चला रहे हैं और पहले की तरह अब भी एक काकस है। मेरा लड़का भी कुछ इसी प्रकार का काम कर रहा है। इससे बढ़कर कोई और हास्यास्पद बात हो नहीं सकती। प्रधान सचिव का अधिकारियों के चयन से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस बारे में वह अपने विचार व्यक्त नहीं करते। अधिकारियों की नियुक्ति सम्बन्धित मंत्रालयों द्वारा की जाती है और तीन व्यक्तियों द्वारा निर्णय किया जाता है, वे तीन व्यक्ति हैं—सम्बन्धित मंत्री, गृह मंत्री और प्रधान मंत्री यह कोई नहीं प्रथा नहीं है। ऐसा 1947 से होता चला आ रहा है। प्रधान मंत्री को उनके प्रधान सचिव द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभावित किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि वह ऐसा करने का प्रयास करता है तो वह एक दिन भी इस पद पर नहीं रह सकता। यहां तक कि प्रधान मंत्री भी किसी प्रकार अन्य मंत्रियों को प्रभावित नहीं करता। वे जो चाहें सिफारिशें कर सकते हैं।

मेरे लड़के द्वारा तेहरान के लिए एक गैर-अनुसूचित उड़ान किये जाने के बारे कहा गया है। मुझे यह मालूम नहीं कि अनुसूचित उड़ान क्या होती है। हवाई जहाज को वहां पर उतरना था। यह मेरे लड़के के लिये नहीं किया गया था। जब मैं वहा गया था, तो भी जहाज का वहां पर हाल्ट था। यह मेरे लिये नहीं किया गया । यह कहने का क्या अर्थ हुआ कि उन्होंने गैर-अनुसूचित उड़ान भरी ? वह लन्दन से मास्को बारास्ता तेहरान गये थे। यदि वह यहां आकर फिर वहां जाते तो यह उन्हें महंगा पड़ता और उन्होंने यह अपने निजी खर्चे पर ही किया। सरकारी रुपया उन पर खर्च नहीं किया,गया। वह वहां सितम्बर के अन्त में गये थे। वह वहां पर अपने कारोबार से सम्बन्ध विच्छेद करने के लिये गये थे। वहां पर वह एक कम्पनी के निदेशक थे, जो भारत में काम कर रही थी। वह वहां पर कुछ वर्षों के लिये निदेशक थे और रिजर्व बैंक की अनुमति से प्रत्येक वर्ष बैठकों के लिये वहां जाते थे। वह त्यागपत्र देना चाहते थे ताकि उनका किसी प्रकार के कारोबार से सम्बन्ध न हो।

यदि विरोधी पक्ष यह महसूस करता है कि इस तरीके से वे जनता पार्टी को तोड़ सकते है तो वे गलती पर है। मैं यह नहीं कहता कि हम में त्रुटियां नहीं है। कोई भी दल यह दावा नहीं कर सकता कि उनकी पार्टी में मतभेद नहीं है।

पूछा गया है कि हमने क्या किया है और क्या परिवर्तन हुआ है। जो परिवर्तन हुआ है उसे सारा विश्व जानता है। पूर्ण सन्तोष नहीं है तो यह बात तो समझ में आ सकती है कि मैं यह नहीं कह सकता कि एक वर्ष के अन्दर प्रत्येक मामले में पूर्ण सन्तोष दिया जा सकता है। परन्तु ऐसी कोई बात नहीं जिसके लिये हमें शर्म आनी चाहिये या हमने वह सब कुछ नहीं किया जो हम कर सकते थे या जिसे हम करने में सफल हुए हैं।

मूल्यों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। क्या यह सही नहीं है कि जो मूल्य मार्च में थे उनकी तुलना में मूल्य अधिक नहीं है। हम यह नहीं कहते कि वे कम हुए हैं। उन्हें कम करना है। यदि प्रति वर्ष 10 वर्ष की मुद्रास्फीति के बाद आपात काल के 6 महीनों को छोड़कर हम उसे रोक सके हैं तो क्या यह एक उपलब्धि नहीं है ? उनका कहना है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। क्या यह परिवर्तन कम है कि सारे देश में प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की छूट है कि वह जो चाहे कह सकता है ? क्या वह भारी परिवर्तन नहीं है । स्थिति यह थी कि जब हमने सरकार की खामियों को बताने कर प्रयास किया तो हमें ऐसी जगह पकड़ कर ले जाया गया जिसकी हमें खबर तक न थी।

उन्हें केवल इसी बात का खेद है कि उन्होंने जो गलतियां की थीं, हमने उन्हें ठीक कर दिया है। अब प्रेस पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यहां तक कि जो कुछ हम कहते है, उसे नहीं छापा जाता और जो कुछ वे कहते है, उसे मोटे अक्षरों में छापा जाता है। समाचरपत्रों के देखते से यह कथन स्वयं सिद्ध हो जायेगा।

जहां तक जन संचार माध्यमों का सम्बन्ध है जन संचार माध्यमों द्वारा उनके बारे में जरूरत से कहीं अधिक प्रचार किया जा रहा है। फिर भी वे कहते है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इस देश में यह पहला अवसर है, जब कि चुनावो में विपक्षी दलों और सत्ताधारी दल को आकाशवाणी पर बोलने का समान अवसर दिया गया है। हम यह सुनिशिचत करने का प्रयास कर रहे है कि लोक संचार माध्यम स्वतंत्ररूप से कार्य करें और वे सरकार के प्रभाव में न रहे। लेकिन इस मामले पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। इस के लिए हम ने एक समिति गठित की है। इस समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत का दिया है। हम इस बारे में शीघ्र ही निर्णय लेंगे। लेकिन फिर भी इस पर समय लगेगा। अतः यह कहना अर्थहीन है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं।

हम समाचार पत्रों या प्रेस के मामले किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। मैंने प्रेस से कह दिया है कि यदि वह अपनी प्रेस परिषद् बनाना चाहते है, तो बना लें। मैं उस में किसी व्यक्ति को नामजद नहीं करुगा।

अब विपक्ष को देखिये क्या विपक्ष अब पहले की भांति इतनी अधिक अकड़न में है? विपक्ष के नेता को पूर्ण तया मान्यता दे दी गई है। अनेक मामलों में विपक्ष से परामर्श लिया जाता है। परामर्श के परिणामस्वरूप ही अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ है। राष्ट्रपति को भी सर्वसम्मति से चुना गया है।

खाद्य की स्थिति को देखिये। अब खाद्य अधिक मात्रा में उपलब्ध है। हर चीज़ आसानी से मिल रही है। बम्बई में तथा अन्य बड़े नगरों में जहां कहीं लोगो से मिला हूं, मुझे बताया गया है कि अब हर चीज आसानी से उपलब्ध है। अब उत्पादन अधिक हो रहा है। उद्योगों की स्थिति बेहतर है। यह सब पर्याप्त नहीं है, परन्तु मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेंगे। ।

शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। परन्तु हम पिछली सरकार की भांति बिना सोच विचार किये परिवर्तन नहीं कर सकते। हम इस मामले में शिक्षा विदों को अपने साथ लेकर कार्य करना चाहते है। अतः हम सम्बन्धित व्यक्तियों से शिक्षा के मामले पर विचार-विमर्श कर रहे है और मतैक्य प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं समझता हूं कि संविधान में बहुत पहले संशोधन किया जाना चाहिए था। लेकिन हम विपक्ष को अपने साथ लिए बिना यह काम नहीं करना चाहते और जहां तक संभव होगा हम ऐसा ही करेंगे। मुझे प्रसन्नता है कि दलबदल रोक विधेयक के मामले में हमें काफी हद तक सहमति प्राप्त हो गई है। इस मामले में इस लिए विलम्ब हो रहा है, क्योंकि हम विपक्ष की राय लेना चाहते है। ताकि मार्ग में कोई बाधा न करे और यह उपाय अधिक कारगर सिद्ध हो सके।

मैं विपक्ष के विरुद्ध नहीं हूं और न ही अविश्वास प्रस्ताव लाने के विरुद्ध हूं। मैं चाहता हूं कि विपक्ष शक्तिशाली हो। वे गुटों की बात कर रहे थे। हमारे दल में कोई गुटबाजी नहीं है, विचार की भिन्नता हो सकती है। में यह कहना चाहता हूं कि इतिहास में यह अभूतपूर्व घटना घटी है कि पांच विभिन्न विचारधाराओं वाले दल एक दूसरे के दबाव के बिना लोकतंत्र में विश्वास रखते हुए आपस में मिले हैं। अब वे एक हो गये हैं और एक नया दल बन गया है। जो आंखें होते हुए भी न देखना चाहे, उन से क्या कहा जा सकता है, परन्तु वास्तविकता यह है कि हमारा दल एक दल है और उसमें गुटबाजी नहीं है।

हरिजनों पर अत्याचारों, कानून और व्यवस्था की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया गया है। लेकिन यह समस्यायें केवल हम से सम्बन्धित नहीं है, समूचे देश से सम्बन्धित हैं। ये समूचे देश की समस्यायें हैं। यह समस्यायें पहले भी रही हैं। परन्तु में यह नहीं कहना चाहता कि यह समस्यायें रहेंगी। हम इन्हें अवश्य दूर करेंगे। यह हमारा दायित्व है। पहले इन बातों का प्रकाश्न नहीं होता था। पहले हरिजन आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को संघर्ष करने का साहय नहीं था। मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि अब वे पूर्ण संघर्ष करने के लायक हो गये हैं।

मैं विपक्षी दल के नेता का आभारी हूं कि उन्होंने अपनी कमजोरी यहां जाहिर की है। यदि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर जोर देना चाहता है तो उन्हें ऐसा करने का अवसर प्राप्त है। लेकिन इससे उनकी प्रतिष्ठा नहीं बढ़ेगी।

**श्री सी० एम० स्टीफन (इदुक्की)** : मुझे खेद है कि प्रधान मंत्री ने ऐसी कोई बात नहीं कही जिस का मैं उत्तर दूं। उन्होंने केवल एक बात कही है कि लोगों के पास आंखें हैं, परन्तु वे देखना नहीं चाहते। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री के पास कान हैं, परन्तु वे सुनना नहीं चाहते। गत दो दिनों में अनेक भाषण दिये गये हैं। यदि प्रधान मंत्री उन्हें न सुनना चाहें तो क्या किया जा सकता है।

एक प्रश्न बार-बार पूछा गया है कि यह अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया है। अतीत में अनेक अविश्वास प्रस्तावों पर चर्चा की जा चुकी है। इस अविश्वास प्रस्ताव और इस पर दिये गये भाषणों से एक बात तो सुस्पष्ट हो गई है। एक या दो भाषणों को छोड़ कर अन्य भाषणों में भ्रष्टाचार के आरोप और पारस्परिक छींटाकशी या कटाक्ष नहीं किया गया है बल्कि राष्ट्रीय मामलों को लिया गया है। कांग्रेस (आई) कांग्रेस, पीजन्ट्स वर्कर्स पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी आफ इण्डिया, ए० डी० एम० के०, कम्युनिस्ट मार्क्सवादी, मुस्लिम लीग, आदि सभी दलों ने यही कहा है कि सरकार का कार्यकरण अत्यन्त निराशाजनक और असन्तोषजनक रहा है और यह देश को असफलता की ओर ले जा रही है। सत्ताधारी दल के अनेक सदस्यों ने भी यह चेतावनी दी है। सरकार को इस चेतावनी पर ध्यान देना चाहिए।

सामान्यता तीन उद्देश्यों के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। पहला यह कि सत्ता हथियाने और मंत्रिमंडल को पदच्युत करने की सम्भावना हो। इस अविश्वास प्रस्ताव का यह उद्देश्य नहीं है। दूसरा यह कि जब कोई विशेष मामला हो, जिसे परिलक्षित किया जाना चाहिए तो उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाये, परन्तु इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह भी नही है। तीसरा यह कि जब विपक्ष यह महसूस करे कि सरकार देश को रसातल की ओर ले जा रही है और अब समय है कि देश के हित में सरकार को यह ठीक कार्य संचालन करने या सत्ता छोड़ने के बारे में सोचना चाहिए उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इस अविश्वास प्रस्ताव का यह उद्देश्य है। विपक्ष इस बारे में सहमत है कि सरकार देश को रसातल की ओर ले जा रही है। कुछ मित्रों का विश्वास है कि सरकार को अपने आप को सुधारने के लिए समय दिया जाना चाहिए। परन्तु मेरा विश्वास है कि सरकार के लिए यह असंभव है कि वह अपने आप में सुधार कर सके। इस लिए बेहतर यह होगा कि सरकार अपने आप सत्ता छोड़ दे, अन्यथा उसे सत्ता से हटा दिया जायेगा।

स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस जन आन्दोलन के रूप में थी। उसमें विभिन्न विचार धाराओं के लोग थे। जब कार्यान्वियन का समय आया कि कार्यक्रमों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जाये, तो कांग्रेस को कोख से स्वतंत्र पार्टी का जन्म हुआ, स्वतंत्र पार्टी की कोख से कम्युनिस्ट पार्टी का और कम्युनिस्ट पार्टी से समाजवादी दल का, और समाजवादी दल से भारतीय लोक दल का तथा इसी तरह अनेक दलों का जन्म हुआ। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो एक सुसंगठित और पर्याप्त शक्तिशाली संस्था थी अपने कार्यक्रम को क्रियान्वित करते समय अपने आप को एक दल के रूप में न रख सकी और उसके विभिन्न संगठन बन गए तो विभिन्न दल जो एक पार्टी के रूप में सामने आये हैं कार्यक्रम के क्रियान्वयन के समय उसमें विभिन्न विचारों का होना अवश्यम्भावी है। यह निश्चित है कि यह पार्टी एक साथ नहीं रह सकेगी।

1977 में जब जनता पार्टी ने चुनाव जीता था, तब वह संगठित एवं शक्तिशाली पार्टी थी। वह कुछ करने को कृतसंकल्प थी। परन्तु एक वर्ष के अन्दर ही मतभेद पैदा हो गये है और वे मत भेद किसी से छिपे हुए नहीं है। मैं नहीं चाहूंगा कि मतभेद हों, परन्तु मतभेद हैं और यह अवश्यम्भावी है कि भविष्य में यह मतभेद बढ़ेगें और इससे देश को हानि होगी। वर्तमान परिस्थितियों में इन मतभेदों को बढ़ने से रोका नहीं जा सकता और जिस सीमा तक यह मतभेद बढ़ते रहेंगे देश को उसके परिणाम भुगतने होंगे।

प्रश्न यह उठता है कि क्या ये परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमें आपात स्थिति की घोषणा किया जाना उचित है? आपात स्थिति के दौरान सत्ता का दुरूपयोग हुआ है, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। आपात स्थिति में कुछ अपराध हुए हैं जिनकी भर्त्सना की जानी चाहिए। यदि सरकार अब भी आन्तरिक आपात स्थिति लागू

करने के उपबन्ध रखना चाहती है तो सरकार की वास्तविकता सामने आ जायेगी। यदि इस सरकार के सामने वैसी ही परिस्थितियां होंगी तो यह सरकार भी आपात स्थिति की घोषणा करेगी। यदि वर्तमान सरकार का रूप ऐसा है तो उसे उस व्यक्ति की आलोचना करने का क्या अधिकार है जिसने स्वाविवेक से आपात स्थिति को लागू करना उस समय उचित समझा था।

अतः इस चर्चा का सार यह है कि इस सरकार ने जनता की आस्था को आहत किया है और यदि वह नहीं संभली तो उसे सत्ताच्युत कर दिया जाएगा।

**श्री चन्द्र शेखर (बलिया)** : स्टीफन जी। तब तो आपको न तो भ्रष्टाचार और नागरिक अधिकारों का ध्यान था और न ही आपातकाल की घोषणा का। क्या उन्हें अपने इस आचरण पर लज्जा नहीं आती ?

**श्री सी० एम० स्टीफन** : मैंने जो कहा तथा उसे दोहराना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि संविधान के अधीन आपातकाल की घोषणा करना वैध था। इस काल में ज्यादतियां हुई हैं और इसलिए जो लोग जिम्मेदार हैं उन्हें दण्ड मिलना चाहिए। इस काल में कुछ ठोस लाभ भी प्राप्त हुए हैं इससे भी इंकार नहीं किया जा सकता।

मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आपातस्थिति लगाना ठीक था। मैंने अपना चुनाव इसी आधार पर जीता है। उत्तर भारत में भी अब जो उप-चुनाव हुए हैं उसमें भी लोगों ने सरकार के इस मत को ठुकरा दिया है कि श्रीमती गांधी ने धांधलियां की थीं।

मैं सरकार पर संक्षेप में यह आरोप लगाना चाहता हूं कि देश का हित खतरे में है। इस सभा में जो विचार व्यक्त किये गए हैं उन से यह निष्कर्ष निकलता है कि इस सरकार का कार्यकरण असन्तोष जनक रहा है। यदि यह सरकार इस वस्तु स्थिति को मानने के लिए तैयार नहीं है तो उसे इस प्रस्ताव को महाभियोग के रूप में लेना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का आग्रह करता हूं।

**श्री वयालार रवि (चिरमिकील)** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्री स्टीफन ने श्री चन्द्र शेखर के एक प्रश्न के उत्तर में आपातस्थिति को उचित बताया है। अब प्रश्न यह है कि क्या इस प्रस्ताव द्वारा आपातस्थिति को उचित ठहराया जा सकता है अथवा नहीं ? मेरे विचार में ऐसा नहीं है।

**श्री समर गुहा (कन्टाई)** : उन सभी भाषणों में आपातस्थिति और उस दौरान की गई ज्यादतियों को उचित ठहराया गया है और अब वे तानाशाही वापस लाने के लिए मैदान तैयार कर रही है। **(व्यवधान)**

**श्री वयालार रवि** : इस प्रस्ताव का यह आशय नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं यह प्रस्ताव मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा मंत्री परिषद् में अविश्वास व्यक्त करती है।"

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।**

**The motion was negatived.**

**तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 12 मई, 1978/ 22 वैशाख, 1900 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।**

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday, May 12, 1978/Vaisakha 22, 1900 (Saka)**



MGIPRRND—Sec. VIII—21 LSS/78—19.10-78—210